न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर संगरिया

पीठासीन अधिकारीः—राकेश कुमार मीना आर.ए.एस,उपखण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ

अनुवान

दर्शन सिह वगैरा बनाम सुखप्रीत कौर वगैरा

राजस्व वाद : खाता तकसीम व इस्तकरार हक तथा जमाबन्दी दुरूस्ती

नम्बर मुकदमा — 386/2022

निर्णय दिनांकः—

1 दर्शन सिह पुत्र पूर्ण सिह जाति जटसिख सा. ढाणी बखतावर सिह वाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

2 सहजप्रीत सिह पुत्र इकबाल सिह आयु 12 वर्ष जाति जटसिख सा. ढाणी बखतावर सिह वाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ नाबालिग जरिये कुदरती वली दादा दर्शन सिह पुत्र पूर्ण सिह जाति जटसिख सा. ढाणी बखतावर सिह वाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

वादीगण

बनाम

1 सुखप्रीत कौर पत्नी इकबाल सिह पुत्र दर्शन सिहजाति जटसिख सा. ढाणी बखतावर सिह वाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

2 किरणदीप कौर पुत्री दर्शन सिह पत्नी गगनदीप सिह जाति जटसिख सा. मसरूवाला तह. व जिला हनुमानगढ

3 कुलदीप कौर पुत्री दर्शन सिह पत्नी नक्षत्र सिह जाति जटसिख सा. कोट भारा तह. व जिला बठिण्डा —पंजाब

4 जसपाल कौर पुत्री दर्शन सिह पत्नी सेवक सिह जाति जटसिख सा. कोट भारा तह. व जिला बठिण्डा —पंजाब

5 नवदीप कौर पुत्री इकबाल सिह पुत्र दर्शन सिह जाति जटसिख सा. ढाणी बखतावर सिह वाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

6 इकबाल सिह पुत्र बुटा सिह जाति जटसिख सा. ढाणी बखतावर सिह वाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

7 गुरमेल सिह पुत्र सोहन सिह जाति जटसिख सा. ढाणी बखतावर सिह वाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

8 नाजर सिह पुत्र हाकम सिह जाति जटसिख सा. ढाणी बखतावर सिह वाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

9 बलवन्त कौर पत्नी बुटा सिह जाति जटसिख सा. मोरजण्ड सिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

10 बलविन्द्र सिह पुत्र हरि सिह जाति जटसिख सा. मोरजण्ड सिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

11 बलवीर सिह पुत्र हाकम सिह जाति जटसिख सा. मोरजण्ड सिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

12 सुरूप सिह पुत्र प्रताप कौर पत्नी अजमेर सिह जाति जटसिख सा. मोरजण्ड सिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

13 स्वरूप सिह पुत्र अजमेर सिह जाति जटसिख सा. मोरजण्ड सिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

14 हरगोविन्द सिह पुत्र जीत सिह जाति जटसिख सा. मोरजण्ड सिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

15 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:26:10 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित

1 श्री नक्षत्र सिह सिद्धू वादीगण

2 गुरमीत सिह कलसी प्रति स. 1 ता 5

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

निर्णय

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136 एल.आर.एक्ट. का प्रस्तुत किया जिसके तथय निम्नानुसार है कि चक 5 डी.एल.पी. के खाता स. 38/36 खाता प्रताप कौर वगैरा ज.स. 2067–70 में कुल 14.425 है0 आराजी सांझा खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के उक्त खाता की जमाबन्दी संलग्न है।सांझा खाता की उक्त कुल 14.425 है0 आराजी मे से 12.144 है0 आराजी का सांझा खाता के अन्य सहहिस्सेदारान द्वारा अपना खाता मुताबिक कब्जाकाश्त पुर्व मे ही अलग अलग कायम करवा लिया जिसका राजस्व रिकार्ड में अमलदारामद भी हो चुका है तथा चक के उक्त खाता की शेष आराजी उक्त चक 5 डी.एल.पी. के वर्तमान खाता स. 16/30 खाता इकबाल सिह वगैरा ज.स. 2071–74 में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।उक्त खाता तकसीम के बाद नई चार साला जमाबन्दी तैयार करते समय राजस्व विभाग के कर्मचारियो द्वारा उक्त चक 5 डी.एल.पी. के 16/30 में वादी स. 1 दर्शन सिह पुत्र पुर्ण सिह का नाम राजस्व कर्मचारियों की गलती से दर्ज होने से रह गया है।जो की एक लिपिकिय त्रुटि है। व काबिल दुरूस्ती है।अतः उक्त चक 5 डी.एल.पी. खाता स. 16/30 खाता इकबाल सिह वगैरा ज. स. 2071–74 में जमाबन्दी दुरूस्त की जाकर उक्त खाता में वादी के दादा वादी स. 1 दर्शन सिह पुत्र पुर्ण सिह का नाम दर्ज किया जाकर इनका हिस्सा दर्ज करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। चक 5 डी.एल.पी. खाता स. 16/30 खाता इकबाल सिह वगैरा ज.स. 2071–74 में सांझा खाता में कुल 2.277 है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी वादी स. 1 दर्शन सिह पुत्र पुर्ण सिह के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की है। वादी स. 1 के हक हिस्सा की उक्त वादग्रस्त आराजी में उनके वारिसान उनकी पुत्रीयां प्रति स. 2 ता 4 तथा उनके पुत्र इकबाल सिह का विरास्तन हक व हिस्सा बनता है। जो कि वादी स. 1 के साथ ब.हि.ब. के जन्म से ही हकदार है। इकबाल सिह पुत्र दर्शन सिह फौत हो गये है। जिनके वारिसान वादी स. 2 तथा प्रति स. 1 व 5 ही है। प्रति स.2 ता 4 ने अपने समस्त हक व हिस्सा का परित्याग वादी स. 1 तथा इकबाल सिह पुत्र दर्शन सिह के पक्ष में कर दिया है। अतः प्रति स. 2 ता 4 के हक व हिस्सा की आराजी के वादी स. 1 व इकबाल सिह पुत्र दर्शन सिह ही हकदार है। चुकि इकबाल सिह पुत्र दर्शन सिह फौत हो गये है। तथा इनके फौत होने के बाद इनके वारिसान वादी स. 2 तथा प्रति स. 1 व 5 ब.हि.ब. के हकदार है। प्रति स. 1 व 5 ने अपने समस्त हक व हिस्सा का परित्याग वादी स. 2 के पक्ष में कर दिया है। उक्त आराजी के घरू बंटवारा मुताबिक 1.518 है0 आराजी वादी स. 2 के तथा

0.759 है0 आराजी वादी स. 1 के हक हिस्सा व कब्जा मे आई है। अतः दावा [illegible] दफा 3 में वर्णित उक्त वादग्रस्त आराजी मे से 0.759 है0 आराजी का व[illegible] में प्रतिस 1 ता 5 का कोई हक हिस्सा नही है। इसी कदर की [illegible] वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी एंव दावेदार है। दावा की दफा 3 मे सांझा खाता की उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी का वादीगण ने तथा प्रतिवादीगण ने काश्त की सुविधाओ को मद्‌देनजर रखते हुए तथा आराज के एकीकरण के लिए अच्छी [illegible] अनुसार घरू बंटवारा कर लिया है। घरू बंटवारा मुताबिक उक्त आराजी में प्रति स. 6 ता 14 का कोई कब्जा नही है। प्रति स. 6 ता 14 ने अपने हक व हिस्सा व कब्जाकाश्त की आराजी अन्य चको में प्राप्त कर ली है। अतः घरू बंटवारा मुताबिक प्राप्त आराजी का वादीगण निम्नानुसार खाता अलग करवाना चाहते है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.04.26 11:26:10
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

वादी स. 1 दर्शन सिह पुत्र पूर्ण सिह का 0.759 है0 हिस्सा तथा वादी स. 2 सहजप्रीत सिह पुत्र इकबाल सिह का 1.518 है0 हिस्सा का हिस्साः–

चक 5 डी.एल.पी.

147/189	22	17–18–22–23–24/.253प्र. 25/1/.228 25/2/.025 गै.मु.खाला = 1.518 है.
147/190	35	3–4/.253प्र. 5/1/.228 5/2/.025 गै.मु.खाला =0.759 है0

वादीगण दावा की दफा 5 के अनुसार मौका पर काबिज है। कब्जाकाश्त बाबत कोई विवाद नही है। लेकिन उक्त आराजी वादीगण के नाम दर्ज नही होने के कारण तथा सांझा खाता में दर्ज होने के कारण व उक्त खाता में वादी स. 1 का नाम दर्ज नही होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडता है। इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कहा की आप हमें दावा की दफा 2 के अनुसार जमाबन्दी दुरूस्त करवा दावा की दफा 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार होना मान हमारा खाता दावा की दफा 5 के अनुसार अलग कायम करवा देवें तो इस पर वे टालमटोल करते रहे लेकिन पिछले सप्ताह वे वादीगण के इस निवेदन से स्पष्ट इंकारी हो गये । बस यही विनाय दावा है।

उक्त वाद पेश होने पर तथा सीगेदार की रिर्पोट होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये।प्रति स. 1 ता 5 की ओर से श्री गुरमीत सिह कलसी ने वकालतनामा मय जवाब दावा पेश किया।प्रति स. 6 ता 14 की तलबी जरिये साधारण सम्मन होने पर इनके हाजिर अदालत नही आने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रति स. 15 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया। साक्ष्य वादी में वादी स. 1 दर्शन सिह का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी.पेश किया गया। जो शामिल मिसल है। प्रशनगत भुमि के संबंध में तहसीलदार राजस्व संगरिया से कब्जाकाश्त की रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार राजस्व संगरिया ने अपने पत्रांक प्रा.डिकी/भू.अ./023/102 दिनांक 11–01–2024 द्वारा अपनी रिपोर्ट भिजवाई जो शामिल पत्रावली है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील उभय पक्ष ने वाद पत्र में प्रस्तुत जवाब दावा के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण सहकाश्तकार है। प्रति स. 1 ता 5 का सहमति का जवाब दावा पेश है।वादीगण व प्रतिवादीगण के वाद पत्र का कोई विरोध नही होने के कारण तनकीयात कायम नही की गई। प्रकरण में कोई विवाद नही है। इसलिए वादीगण क वाद पत्र मुताबिक तहसीलदार राजस्व संगरिया से प्राप्त कब्जा काश्त रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किये जाने का कथन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपल[illegible] का अवलोकन किया गया। चक 5 डी.एल.पी. [illegible] 16/30 ज[illegible]071–74 एवं तहसीलदार राजस्व संगरिया की रिपो[illegible] कि वादीगण एव प्रतिवादीगण सह काश्तकार [illegible] पक्षकारो का अर्सा दराज पूर्व से घरू बंटवारे के मुताबिक काश्त करते चले रहे है। वर्तमान में भी कब्जाकाश्त बाबत कोई विवाद सामने नही आया है। वाद पत्र में कोई विरोध सामने नही आया है। तहसीलदार राजस्व संगरिया से प्राप्त रिपोर्ट मुताबिक खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता अलग कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:26:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद पत्र तहसीलदार राजस्व संगरिया से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिक्री किया जाता हैः–

चक 5 डी.एल.पी. खाता स. 16/30 में मौका पर कब्जाकाश्त की भुमिः–
दर्शन सिह पुत्र पुर्ण सिह जाति जटसिख सा. ढाणी बख्तावर सिह वाली

147/189	22	17–18–22–23–24/.253प्र 25/1/.228 25/2/.025 गै.मु.खाला
147/190	35	3–4/.253प्र 5/1/.228 5/2/.025 गै.मु.खाला कुल रकबा 2.277 है. नहरी मय गै.मु.

अतः तहसीलदार संगरिया रिपोर्ट अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भु.अ. संगरिया के पत्र कमांकः– प्रा.डिक्री/भू.अ./023/102 दिनांक 11–01–2024 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा।खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज.........X......... मुब्लिक.........X......... बाबत.........X.........खर्चा मुकदमें के मय शुदवा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 20/3/24 को जारी की गई।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सं...

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K Meena
Date: 2024.04.26 11:26:10
Reason: SelfAttested

Web Copy - Not Official

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री

(ओ 20 रूल 6–7जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर संगरिया

पीठासीन अधिकारीः– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस)

राजस्व वाद : इस्तकरार हक व खाता विभाजन तथा जमाबन्दी दुरूस्ती

1 दर्शन सिह पुत्र पूर्ण सिह जाति जटसिख सा. ढाणी बखतावर सिह वाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

2 सहजप्रीत सिह पुत्र इकबाल सिह आयु 12 वर्ष जाति जटसिख सा. ढाणी बखतावर सिह वाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ नाबालिग जरिये कुदरती वली दादा दर्शन सिह पुत्र पूर्ण सिह जाति जटसिख सा. ढाणी बखतावर सिह वाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

वादीगण

बनाम

1 सुखप्रीत कौर पत्नी इकबाल सिह पुत्र दर्शन सिहजाति जटसिख सा. ढाणी बखतावर सिह वाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

2 किरणदीप कौर पुत्री दर्शन सिह पत्नी गगनदीप सिह जाति जटसिख सा. मसरूवाला तह. व जिला हनुमानगढ

3 कुलदीप कौर पुत्री दर्शन सिह पत्नी नक्षत्र सिह जाति जटसिख सा. कोट भारा तह. व जिला बठिण्डा –पंजाब

4 जसपाल कौर पुत्री दर्शन सिह पत्नी सेवक सिह जाति जटसिख सा. कोट भारा तह. व जिला बठिण्डा –पंजाब

5 नवदीप कौर पुत्री इकबाल सिह पुत्र दर्शन सिह जाति जटसिख सा. ढाणी बखतावर सिह वाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

6 इकबाल सिह पुत्र बुटा सिह जाति जटसिख सा. ढाणी बखतावर सिह वाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

7 गुरमेल सिह पुत्र सोहन सिह जाति जटसिख सा. ढाणी बखतावर सिह वाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

8 नाजर सिह पुत्र हाकम सिह जाति जटसिख सा. ढाणी बखतावर सिह वाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

9 बलवन्त कौर पत्नी बुटा सिह जाति जटसिख सा. मोरजण्ड सिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

10 बलविन्द्र सिह पुत्र हरि सिह जाति जटसिख सा. मोरजण्ड सिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

11 बलवीर सिह पुत्र हाकम सिह जाति जटसिख सा. मोरजण्ड सिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

12 सुरूप सिह पुत्र प्रताप कौर पत्नी अजमेर सिह जाति जटसिख सा. मोरजण्ड सिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

13 स्वरूप सिह पुत्र अजमेर सिह जाति जटसिख सा. मोरजण्ड सिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

14 हरगोविन्द सिह पुत्र जीत सिह जाति जटसिख सा. मोरजण्ड सिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

15 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.04.26 11:26:10
Reason: SelfAttested

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Copy - Not Official

मु.स 386/2022 , दावा अर्न्तगत धारा 88/53 आर.टी.ए.136 एल.आर.एक्ट.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू वादीगण की ओर से श्री नक्षत्र सिह सिद्धू एड. व प्रतिस. 1 ता 5 की ओर से गुरमीत सिह कलसी एड. दिया जाता है कि वादीगण का वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है। तथा वादीगण व उक्त प्रतिवादीगण का निम्नानुसार खाता अलग कायम किया जावे :–

चक 5 डी.एल.पी. खाता स. 16/30 में मौका पर कब्जाकाश्त की भुमिः–

1 दर्शन सिह पुत्र पुर्ण सिह जाति जटसिख सा. ढाणी बख्तावर सिह वाली

147/189	22	17–18–22–23–24/.253प्र 25/1/.228 25/2/.025 गै.मु.खाला
147/190	35	3–4/.253प्र 5/1/.228 5/2/.025 गै.मु.खाला

कुल रकबा 2.277 है. नहरी मय गै.मु.

अतः तहसीलदार संगरिया रिपोर्ट अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भु.अ. संगरिया के पत्र कमांकः– प्रा.डिक्री/भू.अ./023/102 दिनांक 11–01–2024 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा।खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज......X...... मुब्लिक......X...... बाबत....100/......खर्चा मुकदमें के मय शुदवा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 20/3/2024 को जारी की गई।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:26:10 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official